

722/XXIII/09/61/2009
संख्या: /शीरा/देशी मदिरा निर्माण/2009

प्रेषक,
सचिव,
आबकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

आबकारी अनुभाग

देहरादून दिनांक: 20 अक्टूबर, 2009

विषय:- देशी मदिरा निर्माण हेतु 70 प्रतिशत अंश के शीरे का आबंटन किये जाने के सम्बंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 501/उत्पादन-वितरण (शीरा)/देशी मदिरा निर्माण/2009 दिनांक 30.09.2009 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न आसवनियों की देशी मदिरा निर्माण हेतु शीरे की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व हित में 70 प्रतिशत अंश के शीरे के स्टॉक से देशी मदिरा निर्माण हेतु अतिरिक्त शीरे का आबंटन किया जाये, जिसके लिए आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक को अधिकृत किया जाता है।

तदानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
सचिव

अभिप्रेत

20.10.09

20.10.09

20.10.09

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

717-726
पत्रांक /तीन-वितरण-शीरा / 2004-05

दिनांक: देहरादून मार्च 10, 2005

अध्यासी,
समस्त चीनी मिलें,
उत्तरांचल।

विषय : शीरे की बिक्री / निर्यात किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 (यथा संशोधित), जो उत्तरांचल में उपान्तरित एवं अनुकूलित किया जा चुका है, में शीरे की बिक्री के लिए धारा-8 के अन्तर्गत निम्न प्रविधान हैं:-

Sale and supply of molasses.

8-(1) The controller [may, with the prior approval of the State Government, by order require] the occupier of any sugar factory to "sell or supply" in the prescribed manner such quantity of molasses to such person, as may be specified in the order, and the occupier shall, notwithstanding any contract, comply with the order.

Provided that such quantum of molasses as is not required by the said chemical industries may be sold or supplied by the occupier of the sugar factory to any other unit which is actual users of molasses with the prior approval of the controller.

(2) The order under sub section (1)-

(a) shall require supply to be made only to a person who requires it for his distillery or for any purpose of industrial development;

शीरा अधिनियम की उक्त धाराओं की व्यवस्थाओं/ प्राविधानों के अनुसार ही राज्य की चीनी मिलों से शीरे की बिक्री एवं निर्यात हेतु शीरे का आबंटन इसके वास्तविक उपभोक्ताओं (बोनाफाइड कंज्यूमर्स आफ मोलासिस) को ही बिक्री/निर्यात हेतु अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि बिना शीरा नियंत्रक (आबकारी आयुक्त) की पूर्वानुमति के शीरा निर्यात की अनुमति न दी जाय।

उक्त आदेशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Jasbir Singh

शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल, देहरादून

संख्या 727-748/तीन-वितरण-शीरा-24/2004-05 तददिनांक 10 मार्च 2005
प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री, उत्तरांचल शासन को सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4. सचिव, आबकारी, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
5. गन्ना आयुक्त, उत्तरांचल, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
6. नोडल अधिकारी, उत्तरांचल शुगर्स, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
9. समस्त उप आबकारी निरीक्षक, चीनी मिलें, उत्तरांचल।

0/4

10/3/2005

(बी0सी0चन्दोला)

शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल, देहरादून

संख्या 1464 / XXIII / 61 / 9 / 2004

प्रेषक

जी०सी०चन्दोला,

सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तरांचल, देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादून:दिनांक:सितम्बर 20, 2004

विषय : उत्तरांचल राज्य में स्थित कैटिल फीड निर्माताओं को शीरा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि उत्तरांचल राज्य में स्थित कैटिल फीड निर्माताओं के द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि शीरा वर्ष 2003-04 के लिए घोषित शीरा नीति के अन्तर्गत उत्पादित शीरे में से 10 प्रतिशत अंश शीरा देशी मदिरा निर्माताओं के लिए, 20 प्रतिशत शीरा निर्यात के लिए तथा 70 प्रतिशत अंश उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा/अल्कोहल आधारित रासायनिक उद्योगों के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, जिसमें उनके लिए शीरा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था नहीं रखी गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य में स्थित कैटिल फीड निर्माताओं को उनके उत्पादन के लिए अपेक्षित शीरा शासनादेश संख्या 1464/आब/02/2003-04 दिनांक 31.12.2003 में प्राविष्टानित उत्तरांचल की इकाईयों एवं उत्तर प्रदेश की शीरा/अल्कोहल आधारित रासायनिक उद्योगों को विक्री हेतु निर्धारित 70 प्रतिशत अंश में से ही उपलब्ध कराया जाय। कृपया तदनुसार समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

27/9/2004
(जी०सी०चन्दोला)
सचिव

(CPD)

29.9.04

आबकारी आयुक्त,
रांचल, देहरादून।